राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
कार्यालय परिसर, ब्लाक ए/4, गौतम नगर, भोपाल 462023

क्रमांक/रागाप्रौवि/शैक्ष/2011/ 119 दिनांक 17-1-2011

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय — आई.टी.आई. के लेटरल एन्ट्री के माध्यम से पोलीटेकनिक में प्रवेशित छात्रों बाबत्।

विषयान्तर्गत प्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में आई.टी.आई. के छात्रों को लेटरल एन्ट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 31 दिसम्बर 2010 तक प्रवेश दिया गया है। आरजीपीव्ही के पोलीटेकनिक के अध्यादेशों के तहत सेमेस्टर पद्धति में 90 दिवस अथवा 540 घंटों का अध्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है तथा उपरोक्त अध्यापन अवधि में छात्रों की उपस्थिति को 75 प्रतिशत न्यूनतम रखा गया है। इन छात्रों के विलम्ब से प्रवेश के कारण सत्र 2010—11 की दिनांक 27 जनवरी से प्रारंभ होने वाली परीक्षा में उपरोक्त नियमानुसार अध्यापन सुनिश्चित न होने से इन छात्रों को परीक्षा में बैठाना संभव नहीं है। अतः इन छात्रों के प्रथम सेमेस्टर के अध्यापन को 1 जनवरी 2011 से प्रारंभ करते हुए अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर इनके पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के तहत पूर्ण कराएं। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि पृथक से सूचित की जावेगी। द्वितीय सेमेस्टर के सत्र प्रारंभ होते ही द्वितीय सेमेस्टर का अध्यापन भी सुनिश्चित कराया जाए। परीक्षा फार्म इत्यादि के संबंध में आपको पृथक से निर्देशित किया जाएगा।

समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि, दिनांक 27.1.2011 से होने वाली प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में इन लेटरल एन्ट्री के छात्रों को सम्मिलित न करें। इन छात्रों की परीक्षा इत्यादि के बारे में पृथक से सूचित किया जाएगा।

सचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल

P.T.O.
(Contd. 2/-)

D:soni/ACD/letters

पृ.क्र./रागांप्रौविवि/शैक्ष/08/ /भोपाल, दिनॉक

प्रतिलिपिः—

प्रभारी अधिकारी परीक्षा/गोपनीय/मूल्यांकन एवं कम्प्यूटर अनुविभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर से अनुरोध है कि पत्र की प्रति नेट पर प्रदर्शित करवाने की कार्यवाही करें ।

सचिव,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल ।